



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140 ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2002/आषाढ़ 20, 1924  
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2002/ASADHA 20, 1924

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2002

सं. एल-7/25(1)/2001-के.वि.वि.आ.—विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 14) के भाग 28 के अंतर्गत शक्तियों का और इसमें निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक (टैरिफ की शर्तें एवं निबन्धन) विनियमन, 2001 को और संशोधित करते हुए निम्नानुसार नियम बनाते हैं जिन्हें अब मुख्य अधिसूचना\* [प्रमुख अधिसूचना भारत सरकार के (असाधारण) भाग-III, खण्ड-4, दिनांक 26 मार्च, 2001 में प्रकाशित है], कहा जायेगा।

1. शीर्षक.—इन नियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबन्धन) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2002 कहा जायेगा।

2. प्रारंभ.—ये विनियमन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. विनियमन 1.12 में संशोधन.—इस विनियमन के अन्तर्गत, निर्धारित मानदण्ड 50 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले गैस पर अधिकृत केन्द्रों पर लागू नहीं होंगे। विनियमन 1.12 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. परिशिष्ट-1 में संशोधन.—मुख्य अधिसूचना (ताप केन्द्रों के लिये टैरिफ फाइलिंग के दस्तावेजों की जांच-सूची) (भाग-1) फार्म 1 से 15 सहित, को परिशिष्ट-1 (ताप केन्द्रों के लिये टैरिफ फाइलिंग के दस्तावेजों की जांच-सूची) (भाग-1) फार्म 1 से 17 सहित, जो कि इन नियमों के साथ संलग्न हैं, द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

के. वेणुगोपाल, सचिव

[ सं. विज्ञापन III/IV/असाधारण/150/02 ]

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, दिनांक 26 मार्च, 2001 में प्रकाशित हुई थी।

(परिशिष्ट-1)

## ताप केन्द्रों के लिए टैरिफ फाइलिंग के दस्तावेजों की जांच-सूची (भाग-1)

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना का अनुमोदन ☐
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूंजीगत लागत का अनुमोदन ☐
3. इक्विटी सहभागिता करार तथा विदेशी इक्विटी के लिए आवश्यक अनुमोदन ☐
4. वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा उससे आगे के केन्द्रवार/कार्पोरेट लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तथा सभी अनुसूचियां तथा अनुलग्नक ☐
5. भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना या लाभभोगियों के साथ पी. पी.ए. की एक प्रति ☐
6. सार-पत्र (फार्म सं० 1) ☐
7. संयंत्र विशेषताएँ (फार्म सं० 2) ☐
8. मानकीय मापदंड (फार्म सं० 3) ☐
9. विदेशी मुद्रा दर विवरण (फार्म सं० 4) ☐
10. सी.ओ.डी. तक परियोजना लागत का विवरण (फार्म सं० 5) ☐
11. सी.ओ.डी. तक वित्तीय पैकेज (फार्म सं० 6) ☐
12. परियोजना विशिष्ट ऋण के ब्यौरे वाला विवरण (फार्म सं० 7) ☐
13. ऋण पैकेजों के संचय के माध्यम से वित्त पोषित परियोजना के ब्यौरे वाला विवरण (फार्म सं० 8) ☐
14. सी.ओ.डी. के बाद अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण (फार्म सं० 9) ☐
15. अतिरिक्त पूंजीकरण के वित्तपोषण का विवरण (फार्म सं० 10) ☐
16. मूल्यहास का विवरण (फार्म सं० 11) ☐
17. विभिन्न ऋणों पर व्याज के संगणन को दर्शाने वाला विवरण (फार्म सं० 12) ☐
18. मूल्य हास पर अग्रिम (ए.ए.डी.) का विवरण (फार्म सं० 13) ☐

19. कार्यशील पूँजीगत ऋण पर ब्याज की औसत दर के परिकलन का विवरण (फार्म सं० 14)
20. परिचालन एवं रखरखाव व्यय का परिकलन (फार्म सं० 15)
21. परिचालन एवं रखरखाव व्यय का विवरण (फार्म सं० 16)
22. ऊर्जा प्रभार के संगणन के लिए ईंधन के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण/सूचना (फार्म सं० 17)
23. कोई अन्य संबंधित सूचना (कृपया उल्लेख करें)

### तालिका

| फार्म सं० | टैरिफ फाइलिंग प्रारूप (ताप)                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | सार-पत्र                                                                           |
| 2.        | संयंत्र विशेषताएं                                                                  |
| 3.        | मानकीय मापदण्ड                                                                     |
| 4.        | विदेशी मुद्रा दर विवरण                                                             |
| 5.        | सी.ओ.डी. तक परियोजना लागत का वर्णन                                                 |
| 6.        | सी.ओ.डी. तक वित्तीय पैकेज                                                          |
| 7.        | परियोजना विशिष्ट ऋण के ब्यौरे का वर्णन                                             |
| 8.        | ऋण के युग्मक के ब्यौरे वाला विवरण                                                  |
| 9.        | सी.ओ.डी. के बाद अतिरिक्त पूँजीकरण                                                  |
| 10.       | अतिरिक्त पूँजीकरण के वित्त पोषण का विवरण                                           |
| 11.       | मूल्यह्रास का विवरण                                                                |
| 12.       | विभिन्न ऋणों पर ब्याज के संगणन का विवरण                                            |
| 13.       | मूल्यह्रास पर अग्रिम (ए.ए.डी.) का विवरण                                            |
| 14.       | कार्यशील पूँजीगत ऋण पर ब्याज की औसत दर (सी.सी.)                                    |
| 15.       | परिचालन एवं रखरखाव व्यय का परिकलन                                                  |
| 16.       | परिचालन एवं रखरखाव व्यय का विवरण                                                   |
| 17.       | ऊर्जा प्रभार के संगणन के लिए ईंधन के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण/सूचना |

फार्म - 1

## सार पत्र

कंपनी का नाम

विद्युत केन्द्र का नाम

क्षेत्र  राज्य  जिला 

टैरिफ अवधि ----- से ----- तक

| क्र.सं. | विवरण                                                                | वर्तमान<br>2000-01 | प्रस्तावित |                  |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|---------|
| सं०     |                                                                      | 2000-01            | 2001-02    | 2002-03          | 2003-04 |
| (1)     | (2)                                                                  | (3)                | (4)        | (5)              | (6)     |
| 1.      | नियत प्रभार का परिकलन (करोड़ ₹0)                                     |                    |            |                  |         |
|         | 1.1 मूल्यहास (फार्म-11)                                              |                    |            |                  |         |
|         | 1.2 ऋण पर ब्याज (फार्म-12)                                           |                    |            |                  |         |
|         | 1.3 इक्विटी पर प्रतिफल <sup>1</sup>                                  |                    |            |                  |         |
|         | 1.4 मूल्यहास पर अगिम (फार्म-13)                                      |                    |            |                  |         |
|         | 1.5 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-14)                               |                    |            |                  |         |
|         | 1.6 परिचालन एवं रख-रखाव व्यय (फार्म-15)                              |                    |            |                  |         |
|         | कुल                                                                  |                    |            |                  |         |
| 2.      | ऊर्जा प्रभारों पर परिकलन (कि.वॉ. ₹0/के.डब्ल्यू.एच.) <sup>1</sup>     |                    |            |                  |         |
|         |                                                                      | स्थिरीकरण के समय   |            | स्थिरीकरण के बाद |         |
|         | 2.1 प्राथमिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर<br>(आर.ई.सी.)पी <sup>2</sup> |                    |            |                  |         |
|         | 2.2 माध्यमिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर<br>(आर.ई.सी.)                |                    |            |                  |         |
|         | 2.3 ऊर्जा प्रभार एक्स-बस की दर<br>(आर.ई.सी.) <sup>3ए, 3बी, 3सी</sup> |                    |            |                  |         |

1. परिकलन के विवरण भरे जाएं।

2. अगर एक साथ बहु-ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं तो प्रत्येक ईंधन के लिए अलग से 2.1 का विवरण डालें।

3ए. गैस/लिक्विड ईंधन ज्वलित संयंत्रों के मामलों से युक्त चक्र परिचालन एवं संयुक्त चक्र परिचालन के लिए ऊर्जा प्रभार की दर पृथक-पृथक परिकलित की जाएगी।

3बी. कुल ऊर्जा प्रभार ए.बी.टी. द्वारा कवर संयंत्रों के मामले में भेजे जाने के लिए निर्धारित एक्स-बस ऊर्जा के आधार पर तैयार की जाएगी और जो संयंत्र ए.बी.टी. द्वारा कवर नहीं है उनके मामलों में भेजी गई एक्स-बस ऊर्जा के आधार पर तैयार की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो।

3सी. वृद्धि पर ध्यान रखने के लिए, ईंधन लागत में किसी भी वृद्धि पर परवर्ती वर्षों या एफ.पी.ए. के लिए विचार किया जाएगा।

(याचिकाकर्ता)

## संयंत्र की विशेषताएँ

कंपनी का नाम

विद्युत केन्द्र का नाम

संयंत्र की बुनियादी विशेषताएँ<sup>1</sup>ईंधन की प्रकृति<sup>2</sup>

| विवरण                                                       | मोडयूल संख्या या इकाई संख्या |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                             | (1)                          | (2)      | (3)      | (4)      | (5)      | (6)      | (7)      |
| मूल्यांकन क्षमता                                            |                              |          |          |          |          |          |          |
| समकालन की तारीख                                             |                              |          |          |          |          |          |          |
| समकालन की तारीख को क्षमता                                   |                              |          |          |          |          |          |          |
| वाणिज्यिक परिचालन में प्रवेश की तारीख                       |                              |          |          |          |          |          |          |
| स्थिरीकरण की तारीख                                          |                              |          |          |          |          |          |          |
| स्थिरीकरण की तारीख को क्षमता                                |                              |          |          |          |          |          |          |
| क्या कोई निष्पादन जांच निष्पादित की गई है                   | हां/नहीं                     | हां/नहीं | हां/नहीं | हां/नहीं | हां/नहीं | हां/नहीं | हां/नहीं |
| यदि हाँ, हो तो जांच की क्षमता                               |                              |          |          |          |          |          |          |
| कंडेसर के लिए कूलिंग प्रणाली की किस्म <sup>3</sup>          |                              |          |          |          |          |          |          |
| वायलर फीड पम्प की किस्म <sup>4</sup>                        |                              |          |          |          |          |          |          |
| विद्युत जेनरेटर के लिए कूलिंग प्रणाली की किस्म <sup>5</sup> |                              |          |          |          |          |          |          |
| कोई अन्य विशेष रूप <sup>6</sup>                             |                              |          |          |          |          |          |          |

क्या केन्द्रीय/राज्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा किसी पर्यावरण मानदंड के उल्लंघन के लिए केन्द्र को कोई नोटिस मिला है या विद्युत केन्द्र बंद किया गया है या कोई दण्ड लगाया गया है।

हां/नहीं

यदि हाँ तो विवरण दें

1. संयंत्र की मूल विशेषताओं का उल्लेख करें अर्थात् कोयला आधारित संयंत्र के मामले में क्या यह परम्परागत वाष्प जेनरेटर है या वाष्प जेनरेटर के माध्यम से सर्कुलोटिंग फ्लुइडाइज्ड बैड कम्बर्शन जेनरेटर या सब क्रिटिकल आदि है।
2. कोयला या प्राकृतिक गैस या नाफ्था या लिग्नाइट आदि।
3. क्लोज्ड सर्किट कूलिंग, वन्य थू कूलिंग, सी कूलिंग आदि।
4. मोटर चालित, स्टीम टर्बाइन चालित आदि।
5. वातानुकूलित, जल कूलिंग, हाइड्रोजन कूलिंग आदि।
6. कोई विशेष विशेषता जैसे मैरी-गो-राउण्ड, स्क्रबर्स आदि। ऐसी सभी विशेषताओं का उल्लेख करें।

(याचिकाकर्ता)

## मानकीय मापदण्ड

फार्म-3

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

| विवरण<br>(1)                                                                                | मार्च को समाप्त वर्ष |                         |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                             | वर्तमान              | सीईआरसी द्वारा अधिसूचित |                |                |
|                                                                                             | 2000-01<br>(2)       | 2001-02<br>(3)          | 2002-03<br>(4) | 2003-04<br>(5) |
| लक्ष्य उपलब्धता                                                                             |                      |                         |                |                |
| मानकीय पी.एल.एफ.                                                                            |                      |                         |                |                |
| अतिरिक्त खपत (%)                                                                            |                      |                         |                |                |
| केन्द्र उष्मा दर के.केल./के.डब्ल्यू.एच.                                                     |                      |                         |                |                |
| लक्ष्य उपलब्धता पर परिचालन के घटे                                                           |                      |                         |                |                |
| लक्ष्य पी.एल.एफ. में परिचालन के घटे                                                         |                      |                         |                |                |
| विशेष तेल खपत (एम.एल./के.डब्ल्यू.एच.)                                                       |                      |                         |                |                |
| परिचालन एवं रख-रखाव प्रभार (5 वर्ष से कम वर्षों से पुराने संयंत्रों के लिए सीसी. प्रतिशतता) |                      |                         |                |                |
| 5 वर्षों से अधिक पुराने संयंत्रों के लिए वास्तविक आंकड़ों पर आधारित)                        |                      |                         |                |                |
| कार्यशील पूंजी (डब्ल्यू.सी.) के लिए महीनों में कोयला भंडार तथा व्यय                         |                      |                         |                |                |
| डब्ल्यू.सी. के लिए महीनों में तेल भंडार                                                     |                      |                         |                |                |
| परि एवं रखरखाव की प्रतिशतता के रूप में डब्ल्यू.सी. के लिए अतिरिक्त भंडार                    |                      |                         |                |                |
| डब्ल्यू.सी. के लिए महीनों में प्राप्य                                                       |                      |                         |                |                |
| इक्विटी पर प्रतिफल की दर (%)                                                                |                      |                         |                |                |
|                                                                                             |                      |                         |                |                |

(याचिकाकर्ता)

## विदेशी मुद्रा दर विवरण

फार्म-4

(केवल याचिकाधीन परियोजनाओं पर लागू ऋण के संबंध में विवरण दें)

कंपनी का नाम

विद्युत केन्द्र का नाम

सी.ओ.डी. पर विनिमय दर

| वर्ष    | सामग्री                                | मुद्रा'1 |     | मुद्रा'2 |         | मुद्रा'3 एवं आगे |         |
|---------|----------------------------------------|----------|-----|----------|---------|------------------|---------|
|         |                                        | तिथि     | रु० | तिथि     | दर(रु०) | तिथि             | दर(रु०) |
| (1)     | (2)                                    | (3)      | (4) | (5)      | (6)     | (7)              | (8)     |
| वर्ष-1  | मूल राशि की निर्धारित पुनर्भुगतान तिथि |          |     |          |         |                  |         |
|         | ब्याज की निर्धारित भुगतान तिथि         |          |     |          |         |                  |         |
|         | वित्त वर्ष के अंत में                  |          |     |          |         |                  |         |
| वर्ष-2  | मूल राशि का निर्धारित पुनर्भुगतान तिथि |          |     |          |         |                  |         |
|         | ब्याज की निर्धारित भुगतान तिथि         |          |     |          |         |                  |         |
|         | वित्त वर्ष के अंत में                  |          |     |          |         |                  |         |
| वर्ष-3  | मूल राशि का निर्धारित पुनर्भुगतान तिथि |          |     |          |         |                  |         |
|         | ब्याज की निर्धारित भुगतान तिथि         |          |     |          |         |                  |         |
|         | वित्त वर्ष के अंत में                  |          |     |          |         |                  |         |
| तथा आगे | मूल राशि का निर्धारित पुनर्भुगतान तिथि |          |     |          |         |                  |         |
|         | ब्याज की निर्धारित भुगतान तिथि         |          |     |          |         |                  |         |
|         | वित्त वर्ष के अंत में                  |          |     |          |         |                  |         |

1. मुद्रा के नाम का उल्लेख करें अर्थात् अमरीकी डालर, डी.एम. आदि

(याचिकाकर्ता)

## सी.ओ.डी. तक परियोजना लागत का विवरण

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

| क्रम सं. | ब्रेक डाउन                                        | लागत (करोड़ ₹ में) <sup>2</sup> |                                    | अंतर | अंतर के कारण | स्वीकृत लागत <sup>1</sup> |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|--------------|---------------------------|
|          |                                                   | मूल अनुमोदन के अनुसार           | सी.ओ.डी. पर संपूर्ण लागत के अनुसार |      |              |                           |
| 10       | भूमि, कार्य, संयंत्र एवं उपकरणों तथा सेवा की लागत |                                 |                                    |      |              |                           |
| 11       | भूमि एवं प्राथमिक जांच                            |                                 |                                    |      |              |                           |
| 12       | स्थल विकास                                        |                                 |                                    |      |              |                           |
| 13       | स्टीम जेनरेटर आइजलैण्ड                            |                                 |                                    |      |              |                           |
| 14       | टर्बाइन जेनरेटर आइजलैण्ड                          |                                 |                                    |      |              |                           |
| 15       | बी.ओ.पी. यांत्रिक                                 |                                 |                                    |      |              |                           |
| 16       | बी.ओ.पी. विद्युत तथा सी. एवं आई                   |                                 |                                    |      |              |                           |
| 17       | वाह्य जल आपूर्ति प्रणाली                          |                                 |                                    |      |              |                           |
| 18       | वाह्य कोयला परिवहन प्रणाली                        |                                 |                                    |      |              |                           |
| 19       | रेलिंग <del>स्ट्रक्चर</del> एवं लोकोमोटिव         |                                 |                                    |      |              |                           |
| 110      | राख निपटान संयंत्र एवं उपकरण                      |                                 |                                    |      |              |                           |
| 111      | प्रारंभिक स्टेयर्स                                |                                 |                                    |      |              |                           |
| 112      | सिविल कार्य                                       |                                 |                                    |      |              |                           |
| 113      | राख निपटान क्षेत्र विकास                          |                                 |                                    |      |              |                           |
| 114      | टाउनशिप एवं कॉलोनी                                |                                 |                                    |      |              |                           |
| 115      | अस्थायी निर्माण तथा इनेबलिंग कार्य                |                                 |                                    |      |              |                           |
| 116      | उत्पादन परीक्षण एवं प्रारंभ                       |                                 |                                    |      |              |                           |
| 117      | प्राप्ति एवं प्रबंधन शुल्क                        |                                 |                                    |      |              |                           |
| 118      | संस्थापन एवं इंजीनियरी                            |                                 |                                    |      |              |                           |
| 119      | संस्थापना/निर्माण पर्यवेक्षण                      |                                 |                                    |      |              |                           |
| 120      | ऑपरेटरों का प्रशिक्षण                             |                                 |                                    |      |              |                           |
| 121      | निर्माण बीमा                                      |                                 |                                    |      |              |                           |
| 122      | औजार एवं संयंत्र                                  |                                 |                                    |      |              |                           |
| 123      | पहुंच एवं लिफ्टिंग रोड                            |                                 |                                    |      |              |                           |
| 124      | ऑपरेटरों का प्रशिक्षण                             |                                 |                                    |      |              |                           |
| 125      | मार्ट अप ईंधन                                     |                                 |                                    |      |              |                           |
| 126      | ग्रेपड सुविधा लागत                                |                                 |                                    |      |              |                           |

| क्रम<br>सं. | ब्रेक डाउन <sup>1</sup>                    | लागत (करोड़ ₹ में) <sup>2</sup> |                                      | अंतर | अंतर के<br>कारण | म्युक्त<br>लागत <sup>3</sup> |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|------------------------------|
|             |                                            | मूल अनुमोदन<br>के अनुसार        | सी.ओ.डी.<br>पर शीत लागत<br>के अनुसार |      |                 |                              |
| 2.00        | कर एवं इप्टी                               |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 2.01        | सीमा शुल्क                                 |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 2.2         | अन्य कर एवं इप्टी                          |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.0         | ऊपरी व्यय                                  |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.1         | विकास व्यय                                 |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.2         | कानून संबंधी शुल्क आदि                     |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.3         | संस्थापना                                  |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.4         | स्वामी का अभियांत्रिकी व्यय                |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.5         | परिचालन-पूर्व लागत                         |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.6         | लेखा परीक्षा एवं लेखा                      |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 3.7         | आकस्मिकता                                  |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 4.0         | आई.डी.सी. एवं एफ.सी. के बिना परियोजना लागत |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 5.0         | आई.डी.सी. तथा एफ.सी. <sup>4</sup>          |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 6.0         | आई.डी.सी. तथा एफ. सहित परियोजना लागत       |                                 |                                      |      |                 |                              |
| 7           | कार्यशील पूंजी मार्जिन                     |                                 |                                      |      |                 |                              |

- यहां दर्शाया गया ब्रेक डाउन कोयले/लिग्नाइट आधारित परियोजना के लिए केवल उदाहरण है। गैस/लिविवड ईंधन आधारित परियोजनाओं के मामले में ब्रेक डाउन, ऐसे संयंत्रों के लिए लागू संबंधित शीर्षों में समतुल्य तरीके से प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता अपने निजी ब्रेक डाउन रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, उन्हें संभावित सीमा तक दिए गए ब्रेक डाउन पर रहें।
- यदि कोई ऐसी मद है जिसे भारतीय रुपए एवं विदेशी मुद्रा में दर्शाए जाने की आवश्यकता है तो ये मुद्रा, विनिमय दर और तारीख के साथ अलग-अलग दर्शायी जाएं जैसे 80 करोड़ ₹0 + 50 एम जमरीकी डालर = 280 करोड़ ₹0 अमरीकी डालर = 40 ₹0 4-1-99 को
- परियोजना पूरी किए जाने और भारत सरकार द्वारा किसी टैरिफ अधिसूचना के जारी कर दिए जाने के मामले में पहले जारी टैरिफ अधिसूचना के लिए एडमिट बाई (प्राधिकरण का नाम) के रूप में लागत देते हुए कॉलम-7 भरें। (टैरिफ आर्डर की कापी संलग्न है)
- यदि आई.डी.सी. अलग से नहीं रखा गया है और कॉलम-4 का भाग है तो तदनुसार नीचे एक टिप्पणी दें।

(याचिकाकर्ता)

कार्य-6

## सी.ओ.डी. तक वित्तीय पैकेज

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

सी.ओ.डी. को परियोजना लागत<sup>1</sup> :वाणिज्यिक परिचालन की तारीख<sup>2</sup> :

ऋण : इक्विटी अनुपात :

|         | यथाअनुमोदित वित्तीय पैकेज    |        | सी.ओ.डी. को वित्तीय पैकेज    |   | सी.ओ.डी.पर यथास्वीकृत        |   |
|---------|------------------------------|--------|------------------------------|---|------------------------------|---|
|         | मुद्रा एवं राशि <sup>3</sup> |        | मुद्रा एवं राशि <sup>3</sup> |   | मुद्रा एवं राशि <sup>3</sup> |   |
| 1       | 2                            | 3      | 4                            | 5 | 6                            | 7 |
| ऋण-1    | अमरीकी डालर                  | 200 एम |                              |   |                              |   |
| ऋण-2    |                              |        |                              |   |                              |   |
| ऋण-3    |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
| तथा आगे |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
| इक्विटी |                              |        |                              |   |                              |   |
| विदेशी  |                              |        |                              |   |                              |   |
| घरेलू   |                              |        |                              |   |                              |   |
| कुल     |                              |        |                              |   |                              |   |
| इक्विटी |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |
|         |                              |        |                              |   |                              |   |

- अर्थात् 1 अमरीकी डालर = 40 ₹ की विनिमय दर पर 200 एम अमरीकी डालर + 400 करोड़ ₹ या 200 एम. अमरीकी डालर सहित 1200 करोड़ ₹
- वाणिज्यिक परिचालन की तारीख का अर्थ है - अंतिम एकक का वाणिज्यिक परिचालन
- उदाहरण के लिए - अमरीकी डालर 200 एम. आदि

(याचिकाकर्ता)

**परियोजना विशिष्ट ऋणों के ब्यौरे वाला विवरण**  
**सी.ओ.डी. को'**

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

| विवरण                                       | पैकेज 1  | पैकेज 2  | पैकेज 3  | पैकेज 4  | पैकेज 5  | पैकेज 6  |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (1)                                         | (2)      | (3)      | (4)      | (5)      | (6)      | (7)      |
| ऋण स्रोत <sup>2</sup>                       |          |          |          |          |          |          |
| मुद्रा <sup>3</sup>                         |          |          |          |          |          |          |
| ऋण की राशि                                  |          |          |          |          |          |          |
| ब्याज प्रकृति <sup>4</sup>                  |          |          |          |          |          |          |
| नियत ब्याज दर यदि लागू हो                   |          |          |          |          |          |          |
| आधार-दर यदि फ्लोटिंग ब्याज है <sup>5</sup>  |          |          |          |          |          |          |
| मार्जिन, यदि फ्लोटिंग ब्याज है <sup>6</sup> |          |          |          |          |          |          |
| क्या कोई कैप/फ्लोर है? <sup>7</sup>         | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं |
| मोराटोरियम अवधि <sup>8</sup>                |          |          |          |          |          |          |
| मोराटोरियम कब से प्रभावी है                 |          |          |          |          |          |          |
| पुनर्भुगतान अवधि <sup>9</sup>               |          |          |          |          |          |          |
| पुनर्भुगतान आवृत्ति <sup>10</sup>           |          |          |          |          |          |          |
| आधार विनिमय दर <sup>11</sup>                |          |          |          |          |          |          |
| आधार विनिमय दर की तारीख                     |          |          |          |          |          |          |

- यदि परियोजना पूरी कर ली गई है और भारत सरकार द्वारा विगत में टैरिफ अधिसूचना जारी कर दी गई है तो इस फार्म में विवरण सी.ओ.डी. के अनुसार ऋण पैकेज से संबंधित होंगे।
- ऋण स्रोत का अर्थ है - जिस एजेंसी से ऋण लिया गया है जैसे डब्ल्यू.बी., ए.डी.बी., ओ.ई.सी.एफ., के.डब्ल्यू.एफ., एस.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.एफ.सी., पी.एफ.सी. आदि।
- मुद्रा का संदर्भ ऋण मुद्रा से है जैसे अमरीकी डालर, डी.एम., येन, भारतीय रुपया आदि।
- ब्याज प्रकृति का अर्थ है कि क्या ब्याज नियत है या फ्लोटिंग।
- आधार दर का अर्थ है पी.एल.आर., एल.आई.बी., ओ.आर. आदि जिस पर मार्जिन जोड़ा जाना है।
- मार्जिन का अर्थ है चालूदर से कमोवेश प्वाइंट।
- कई बार कैप/फ्लोर उस स्थान पर रख दिए जाते हैं जहाँ फ्लोटिंग दर स्थिर हो जाती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सी.मा का उल्लेख करें।
- मोराटोरियम अवधि का आशय उस अवधि से है जिसके दौरान ऋण सेवा दायित्व अपेक्षित नहीं है।
- पुनर्भुगतान अवधि का अर्थ है ऋण का पुनर्भुगतान जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष आदि।
- पुनर्भुगतान आवृत्ति का अर्थ है वह अंतराल जिस पर ऋण सेवा की जाती है जैसे मासिक, तिमाही, अर्ध-वार्षिक, वार्षिक आदि।
- आधार विनिमय दर का अर्थ है सी.ओ.डी. की तारीख को प्रचलित विनिमय दर।

(याचिकाकर्ता)

विद्युत केन्द्र का नाम :

[illegible]



कंपनी का नाम :  
विद्युत केन्द्र का नाम :  
सी.ओ.डी.

[illegible]

(याचिकाकर्ता)



फॉर्म-12

विभिन्न ऋणों पर व्याज के परिकलन को दर्शाने वाला विवरण

कम्पनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

|        | विवरण      | ऋण-1               |                |                |               | ऋण-2 एवं उससे आगे  |                |                |                | कुल देय व्याज | कुल पुन-मुगतान |
|--------|------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|        |            | प्रारम्भिक शेष (3) | पुन-मुगतान (4) | अन्तिम शेष (5) | देय व्याज (6) | प्रारम्भिक शेष (7) | पुन-मुगतान (8) | अन्तिम शेष (9) | देय व्याज (10) |               |                |
| (1)    | (2)        |                    |                |                |               |                    |                |                |                | (11)          | (12)           |
| वर्ष-1 | मूल मुद्रा |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
|        | रु०        |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
| वर्ष-2 | मूल मुद्रा |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
|        | रु०        |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
| वर्ष-3 | मूल मुद्रा |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
|        | रु०        |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
| वर्ष   | मूल मुद्रा |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
|        | रु०        |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
| वर्ष   | मूल मुद्रा |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
|        | रु०        |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
| कुल    | मूल मुद्रा |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |
|        | रु०        |                    |                |                |               |                    |                |                |                |               |                |

याचिकाकर्ता

मूल्यहास (ए.ए.डी.) के लिए अग्रिम का विवरण

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

[illegible]

टिप्पणी : यदि कॉलम (6) के अन्तर्गत ऋणात्मक है तो उसे शून्य के रूप में दिखाया जाएगा।

(याचिकाकर्ता)

फॉर्म-14

## कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की औसत दर (सी.सी.) के परिकलन का विवरण

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

वर्ष को समाप्त

|          |                                                                                                      | 2000-01                | 2001-02                 | 2002-03 | 2003-04 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|
| (1)      | (2)                                                                                                  | (3)                    | (4)                     | (5)     | (6)     |
|          | कार्यशील पूंजी पर ब्याज                                                                              |                        |                         |         |         |
|          | ईंधन लागत - 1 माह                                                                                    |                        |                         |         |         |
|          | ईंधन स्टॉक - 1 अथवा 1/2 माह                                                                          |                        |                         |         |         |
|          | ऑयल स्टॉक - 2 माह                                                                                    |                        |                         |         |         |
|          | प्रचालन एवं रखरखाव व्यय - 1 माह                                                                      |                        |                         |         |         |
|          | पूजे 1 वर्ष = ओ एवं एस का 40% से<br>पहले पाँच वर्षों के लिए प्रारम्भिक पूंजीगत<br>पुजों का 1/5 घटाएं |                        |                         |         |         |
|          | प्राप्य - 2 माह                                                                                      |                        |                         |         |         |
|          | कुल कार्यशील पूंजी (करोड़ ₹0)                                                                        |                        |                         |         |         |
|          | अनुमत कार्यशील पूंजी ऋण                                                                              |                        |                         |         |         |
|          | भारित औसत ब्याज दर                                                                                   |                        |                         |         |         |
|          | कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ ₹0)                                                                   |                        |                         |         |         |
| क्रम सं० | कार्यशील पूंजी हेतु ऋण का स्रोत                                                                      | राशि करोड़ों<br>में ₹0 | ब्याज की दर<br>(नकद ऋण) |         |         |
| (1)      | (2)                                                                                                  | (3)                    | (4)                     |         |         |
| क        |                                                                                                      |                        |                         |         |         |
| ख        |                                                                                                      |                        |                         |         |         |
| ग        |                                                                                                      |                        |                         |         |         |
| घ        |                                                                                                      |                        |                         |         |         |
| ङ        |                                                                                                      |                        |                         |         |         |
|          | कुल                                                                                                  |                        |                         |         |         |
|          | भारित औसत ब्याज दर                                                                                   |                        |                         |         |         |

(याचिकाकर्ता)

## प्रचालन और रखरखाव व्ययों का परिकलन

फॉर्म-15

कम्पनी का नाम :  
विद्युत केन्द्र का नाम :

| (1) | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 98-99 | 99-00 | अंतिम<br>1995-96 से<br>99-00 | आधार<br>1999-00 | आधार<br>2000-01 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 |
|-----|---------|---------|---------|-------|-------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|     | (2)     | (3)     | (4)     | (5)   | (6)   |                              | (8)             | (9)             | (10)      | (11)      | (12)      |

मामला-1 : 1995-96 से 1999-2000 के लिए उपलब्ध प्रचालन एवं रखरखाव अंकड़े

(वार्षिक आंकड़ा के आधार पर प्रचालन एवं रख-रखाव आधार)

|                                             |  |  |  |  |  |     |                        |                   |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (क) कुल प्रचालन एवं रखरखाव व्यय             |  |  |  |  |  |     |                        |                   |                     |                     |                     |
| (ख) असामान्य प्रचालन एवं रखरखाव व्यय        |  |  |  |  |  |     |                        |                   |                     |                     |                     |
| - जल प्रभारों के रूप में                    |  |  |  |  |  |     |                        |                   |                     |                     |                     |
| - अन्य घटकों के रूप में                     |  |  |  |  |  |     |                        |                   |                     |                     |                     |
| (ग) प्रचालन एवं रखरखाव आधार का परिकलन (क-ख) |  |  |  |  |  | (E) | $X = E \times (1.1)^2$ | $X \times (1.06)$ | $X \times (1.06)^2$ | $X \times (1.06)^3$ | $X \times (1.06)^4$ |

मामला-2 हाल के नए प्लॉट विवरणों के लिए रख-रखाव व्यय आंकड़ा 1995-96 और 1999-2002 के लिए उपलब्ध नहीं है एवम् अन्य प्लॉट जो टैरिफ अवधि के दौरान लगे।

|                    |  |  |  |  |  |  |   |                   |                     |                     |                     |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| गठन का वर्ष        |  |  |  |  |  |  |   |                   |                     |                     |                     |
| प्रचालन एवं रखरखाव |  |  |  |  |  |  |   |                   |                     |                     |                     |
| आधार का परिकलन     |  |  |  |  |  |  | Y | $Y \times (1.06)$ | $Y \times (1.06)^2$ | $Y \times (1.06)^3$ | $Y \times (1.06)^4$ |

टिप्पणी

1 असामान्य प्रचालन एवं रखरखाव व्यय जैसे - जल प्रभारों इत्यादि में तीव्र वृद्धि के रूप में, जो प्रकृति में असामान्य है और जिसके लिए प्रयोज्य एक अलग याचिका दर्ज करें।

2 चालन प्रचालन एवं रखरखाव (वाई) =  $(0.025 \times \text{पूजी लागत}) 1999-2000$  के स्तर के लिए गठन के वर्ष के पश्चात प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि उदाहरण के लिए यदि वर्ष 1996-97 में लगाए गए संचय की पूजी लागत 100 करोड़ रु० है तो 1999-2000 के लिए आधार का परिकलन इस प्रकार किया जाएगा

$$1999-2000 \text{ हेतु आधार प्रचालन एवं रख-रखाव (प्रारूप में 'वाई') } = (0.025 \times 100)^* (1.10)^4$$

याचिकाकर्ता

### प्रचालन और रख-रखाव व्ययों का विवरण

कंपनी का नाम :

विद्युत केन्द्र का नाम :

|     |                                     | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 2                                   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   |
| (क) | प्रचालन एवं रखरखाव व्ययों का ब्यौरा |       |       |       |       |       |
| 1.  | कर्मचारी लागत                       |       |       |       |       |       |
| 2.  | मरम्मत और रखरखाव                    |       |       |       |       |       |
| 3.  | उपभोगित स्टोर्स                     |       |       |       |       |       |
| 4.  | शक्ति प्रभार                        |       |       |       |       |       |
| 5.  | जलापूर्ति                           |       |       |       |       |       |
| 6.  | सम्प्रेषण व्यय                      |       |       |       |       |       |
| 7.  | यात्रा व्यय                         |       |       |       |       |       |
| 8.  | बीमा                                |       |       |       |       |       |
|     | - संयंत्र एवं मशीनरी                |       |       |       |       |       |
|     | - अन्य                              |       |       |       |       |       |
| 9.  | किराया                              |       |       |       |       |       |
| 10. | सुरक्षा व्यय                        |       |       |       |       |       |
| 11. | व्यावसायिक व्यय                     |       |       |       |       |       |
| 12. | प्रिंटिंग और स्टेशनरी               |       |       |       |       |       |
| 13. | निगमित कार्यालय व्यय विनिर्धारण     |       |       |       |       |       |
| 14. | अन्य व्यय                           |       |       |       |       |       |
| 15. | कुल (1 से 14)                       |       |       |       |       |       |
|     | घटाएं : बसूली (यदि कोई है)          |       |       |       |       |       |
|     | निवल व्यय                           |       |       |       |       |       |

टिप्पणी

- स्टेशन को बनाने में निगमित व्ययों के विनिर्धारण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया जाए।
- दिए गए शीर्ष के अन्तर्गत प्रचालन एवं रख-रखाव व्ययों में वार्षिक वृद्धि (20%) से अधिक को बताया जाए।
- आकड़ों को वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

| (1) | (2)                               | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| (ख) | निम्नलिखित कार्यालय व्यय (जोड़ें) |     |     |     |     |     |
|     | - प्रत्यक्ष कर्मचारी व्यय         |     |     |     |     |     |
|     | - भव्यता और रख-रखाव               |     |     |     |     |     |
|     | - प्रशिक्षण और भर्ती              |     |     |     |     |     |

फार्म - 16

|   |             | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2           | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   |
|   | - सम्प्रेषण |       |       |       |       |       |
|   | - यात्रा    |       |       |       |       |       |
|   | - सुरक्षा   |       |       |       |       |       |
|   | - किराया    |       |       |       |       |       |
|   | - अन्य      |       |       |       |       |       |
|   |             |       |       |       |       |       |
|   |             |       |       |       |       |       |

(याचिकाकर्ता)

ऊर्जा प्रभारों के परिकलन के लिए ईंधन के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण/सूचना

4514-17

कम्पनी का नाम :  
विद्युत केन्द्र का नाम :  
कोयला

[illegible]

॥३॥

- 1 यथा लागू सम्बन्ध कोयला/लिग्नाइट मूल्य अधिसूचना अथवा ईंधन आपूर्ति करार, रेलवे अथवा अन्य परिवहन प्राधिकरणों के टैरिफ दरों की प्रतियाँ प्रस्तुत करें।
- 2 इसी प्रकार का विवरण सी.जी.टी. स्टेशन हेतु प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन और कोयला/लिग्नाइट थर्मल के लिए द्वितीयक ईंधन आयल के लिए प्रस्तुत किया जाए।

याचिकाकर्ता